

कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

:: संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::

बलरामपुर दिनांक 12/11/2016

क्रमांक/ 8064/वाचक/कले0/2016 :- कार्यपालन अभियंता अउदा निर्माण संभाग छरा. विपारेकमर्या कोरबा द्वारा लिलो ऑफ 132 के.व्ही. विश्रामपुर प्रतापपुर-बलरामपुर लाईन के.लो. नं. 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर लाईन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन पंजीयन एवं प्रसंस्करण किये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन विछाये जाने से जिला बलरामपुर के तहसील राजपुर में स्थित मुरका गोपालपुर सिंगचौरा नवकी चिलमाकलां चटकपुर में स्थित अनुसूची -1 में अंकित प्रभावित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

:: संशोधित अनुसूची-1 ::

क्र मा क	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं०	कुल रकबा हे० में	क्रमांक-5 में अंकित रकबा मेंसे उपयोग हेतु मांग की गयी भूमि का रकबा हे० में	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरका	राजपुर	965/2	0.774	0.438	राजस्व वनभूमि
			982/76	0.263	0.064	राजस्व वनभूमि
2	सिंगचौरा	राजपुर	6	0.240	0.023	राजस्व वनभूमि
			15	1.100	0.031	राजस्व वनभूमि
			111/1	18.147	0.471	राजस्व वनभूमि
			312/1	0.460	0.162	राजस्व वनभूमि
			671/1	6.657	1.321	राजस्व वनभूमि
			673/1	4.059	0.860	राजस्व वनभूमि
			115/1	15.066	0.467	राजस्व वनभूमि
3	नवकी	राजपुर	24	0.15 0	0.024	राजस्व वनभूमि
			530	0.648	0.191	राजस्व वनभूमि
			521	0.032	0.013	राजस्व वनभूमि
			527	1.991	0.346	राजस्व वनभूमि
			128	2.509	0.582	राजस्व वनभूमि

4	चिलमाकला	राजपुर	29	6.110	1.104	राजस्व वनभूमि
5	राजपुर	राजपुर	667/1	2.303	0.382	राजस्व वनभूमि
			692/1	0.688	0.204	राजस्व वनभूमि
6	चटकपुर	राजपुर	1 / 20	0.304	0.03	राजस्व वनभूमि
			256/1	9.882	0.248	राजस्व वनभूमि
कुल योग			19	71.383	6.961	

उपरोक्त भूमि का तहसीलदार राजपुर से स्थल जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार राजपुर के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 05/वा./तह./2016 राजपुर दिनांक 20.10.2016 के माध्यम से प्रतिवेदन किया गया है कि उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनुसूची-1 में अंकित कॉलम नम्बर 4 के खसरा एवं कॉलम नम्बर -5 में अंकित रकबा में से कॉलम नम्बर 6 में अंकित रकबा 71.383 हे० में से कुल रकबा 6.961 हे० भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने हेतु व्यपवर्तन की अनुमति यदि किसी सक्षम विभाग द्वारा दिया जाता है तो राजस्व विभागी को कोई आपत्ति नहीं है।



कलेक्टर 12/11

बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)

पृ०क्र० / 8065/वाचक/कले०/2016

बलरामपुर दिनांक 12/11/2016

प्रतिलिपि:-

- कार्यपालन अभियंता, अउदा, निर्माण संभाग छराविपारेकमर्या. कोरबा को सूचनार्थ।



कलेक्टर 12/11

बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर (छ.ग.)

स.प्र.क. 01/ब-121/2016-17

क्रमांक/6/5/वाचक/2016

सूरजपुर, दिनांक 7/12/2016.

:: संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब, निर्माण संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे. कं. मर्या. कोरबा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/कार्य.अभि./अ.उ.दा./निर्माण संभाग/ कार्य/1071 कोरबा दिनांक 05/12/2016 के माध्यम से लिलो ऑफ 132 के.व्ही. विश्रामपुर प्रतापपुर बलरामपुर लाईन के लोड नंबर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर, निर्माण हेतु वन क्षेत्र का आनलाईन पंजीयन किये जाने हेतु जिला सूरजपुर के तहसील प्रतापपुर में स्थित ग्राम सेमराकला, चन्देली, मसगा, करसी एवं बरबसपुर हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 12.11.2016 में पुनः संशोधन करते हुए मैं पुनः तहसील प्रतापपुर स्थित ग्राम सेमराकला, चन्देली, करसी, बरबसपुर के कुल प्रभावित कुल राजस्व वनभूमि रकबा 3.091 हे. को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है-

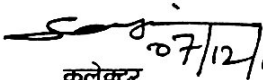
:: अनुसूची-1 ::

क.	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नंबर	कुल रकबा हे. में	उपयोग हेतु मांग की गई भूमि का रकबा	भूमि का किस्म
1	सेमराकला	प्रतापपुर	912	0.07	0.057	राजस्व वन भूमि
			911	0.22	0.045	राजस्व वन भूमि
			914	0.14	0.118	राजस्व वन भूमि
2	चन्देली	प्रतापपुर	54	6.57	0.007	राजस्व वन भूमि
			38	0.38	0.045	राजस्व वन भूमि
			43	1.60	0.134	राजस्व वन भूमि
			42	4.07	0.892	राजस्व वन भूमि
			58	0.67	0.151	राजस्व वन भूमि
			61	2.78	0.082	राजस्व वन भूमि
			62	2.16	0.265	राजस्व वन भूमि
			64	0.450	0.026	राजस्व वन भूमि
			470	0.01	0.012	राजस्व वन भूमि
			476	0.230	0.039	राजस्व वन भूमि
3	करसी	प्रतापपुर	11	0.22	0.034	राजस्व वन भूमि
			12	0.08	0.009	राजस्व वन भूमि
			14	1.09	0.301	राजस्व वन भूमि
			104	0.97	0.005	राजस्व वन भूमि

			103	1.00	0.232	राजस्व वन भूमि
			46	0.330	0.044	राजस्व वन भूमि
			267	0.350	0.073	राजस्व वन भूमि
4	बरबसपुर	प्रतापपुर	841/1	1.740	0.004	राजस्व वन भूमि
			930	0.560	0.016	राजस्व वन भूमि
			1345	0.460	0.187	राजस्व वन भूमि
			1355	1.620	0.313	राजस्व वन भूमि
कुल 24 खसरा नंबर					3.091	

उपरोक्त भूमि की जांच कराकर तहसीलदार प्रतापपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनुसूची-1 में अंकित कालम नंबर 4 के खसरा नंबर एवं कालम नंबर 5 में अंकित रकबा में से कालम नंबर 6 में अंकित रकबा, में से कुल रकबा 3.091 हे. भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने हेतु व्यपवर्तन की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा दिया जाता है, तो राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर

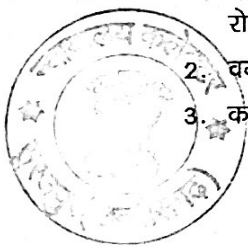
जिला-सूरजपुर

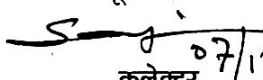
क्रमांक/ 6/6/वाचक/2016

सूरजपुर, दिनांक 7/12/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड रायपुर, को सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, अउदा. निर्माण संभाग, छ.ग.रा.वि.पा.कं.मर्या. कोरबा को सूचनार्थ।




कलेक्टर

जिला-सूरजपुर